

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

संख्या प. 13(1)प्र0सु0/सम0/अनु-1/2008

जयपुर, दिनांक : 5.10.2011

अधिसूचना

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित सेवाओं, जिन पर उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे व उन सेवाओं के सम्बन्ध में सेवा प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

सारणी

क.सं.	विभाग		विधेयक की धारा 3 की परिधि में ली गई सेवा	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो
11	वित्त विभाग : (1) समस्त विभाग	58	सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण/समस्याओं का निवारण: कर्मचारी का पूर्ण पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाना (पेंशन प्रकरण तैयार करने हेतु रा.सि.से.पेनियम, 1996 के परिशिष्ट में वर्णित कार्यवाही निर्धारित समय पर पूरी की जानी है )	सेवा निवृत्ति के 6 माह पूर्व	पैतृक विभाग का कार्यालय अध्यक्ष	-----	पैतृक विभाग का विभागाध्यक्ष।	सचिव, प्रशासनिक विभाग	कर्मचारी द्वारा रा.सि.से.पेंशन नियम, 1996 के परिशिष्ट में वर्णित कार्यवाही निर्धारित समय में पूरी की जाने की शर्त के अध्यक्षीन
		59	सेवा में रहते कर्मचारी की/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार पेंशन एवं उपादान स्वीकृति का प्रकरण तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाना ।	पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने की 1 माह म	पैतृक विभाग का कार्यालय अध्यक्ष	-----	पैतृक विभाग का विभागाध्यक्ष	सचिव, प्रशासनिक विभाग	पात्र पारिवारिक पेंशनर द्वारा प्रपत्र 14/20 (जो भी लागू हो) में निर्धारित समय पर आवेदन करने के अध्यक्षीन

क.सं.	विभाग		विधेयक की धारा 3 की परिधि में ली गई सेवा	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो
	(2) पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग	60	पेंशन एवं उपादान एवं रूपान्तरित पेंशन अधिकृत करना (राज.सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996-नियम 87)	सेवा निवृत्ति से 1 माह पूर्व या पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने के 1 माह की अवधि में (अपूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर 1 माह में वापिस लौ टाया जावेगा)	संबंधित सहायक निदेशक	संबंधित सहायक लेखाधिकारी	निदेशक, पेंशन विभाग	सचिव, प्रशासनिक विभाग	-----
		61	सेवा में रहते कर्मचारी/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के प्रकरण में परिवार पेंशन एवं उपादान की अधिकृति जारी करना	कार्यालयाध्यक्ष से पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस में (अपूर्ण प्रकरण 15 कार्य दिवस में वापिस लौ टाया जावेगा)	संबंधित सहायक निदेशक	संबंधित सहायक लेखाधिकारी	निदेशक, पेंशन विभाग	सचिव, प्रशासनिक विभाग	-----
	3) कोष एवं लेखा विभाग	62	पेंशन का प्रथम भुगतान एवं उपादान, रूपान्तरित पेंशन की अधिकृतियों का भुगतान	अधिकृति प्राप्त होने के बाद 30 दिन में या पेंशनर के कोषागार में उपस्थित होने के 7 दिन में या देय तिथि को (जो भी बाद में हो)	संबंधित कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी	-----	निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग	सचिव, प्रशासनिक विभाग	प्रथम भुगतान के पेंशनर का कोषागार/उप कोषागार में व्यक्तिशः उपस्थित होने के अध्यक्षीन
	4) कोष लेखा विभाग एवं पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग		सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याएं/प्रकरण						

क.सं.	विभाग		विधेयक की धारा 3 की परिधि में ली गई सेवा	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो
		63	कम्यूटेशन पेंशन का रेस्टोरेशन	रा.सि.से. पेंशन नियम 1996 के नियम 29 में निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद बैंक के माध्यम से आवेदन प्राप्त दिनांक से 30 दिवस	संबंधित कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी	अतिरिक्त कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी	संबंधित संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग,	निदेशक ,कोष एवं लेखा विभाग	जिन प्रकरणों में पेंशन भुगतान आदेश में कम्यूटेशन पेंशन के रेस्टोरेशन की दिनांक निर्धारित है उनके लिए संबंधित बैंक को अधिकृत किया हुआ है ।
		64	पेंशन के जीवनकालीन ऐरियर का भुगतान	समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर (1) ऐरियर राशि 50,000 रुपये तक होने पर 30 दिन में भुगतान  (2) ऐरियर राशि 50,000 रुपये से अधिक का होने पर निदेशालय पेंशन को 30 दिन में भेजना  (3) ऐरियर राशि 50,000 रुपये से अधिक होने पर कोषाधिकारी से पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन में भुगतान स्वीकृति जारी करना ।	संबंधित कोषाधिकारी	कोषाधिकारी / अतिरिक्त कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी	संबंधित संयुक्त निदेशक , कोष एवं लेखा विभाग	निदेशक , कोष एवं लेखा विभाग	
					संबंधित कोषाधिकारी	सहायक निदेशक, पेंशन	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग	सचिव, प्रशासनिक विभाग	

क.सं.	विभाग		विधेयक की धारा 3 की परिधि में ली गई सेवा	सेवा प्रदान करने की समयवधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो
		65	पीपीओ के पेंशनर हॉफ की डुप्लीकेट प्रति जारी करना	बैंक के माध्यम से आवेदन पत्र मय दस्तावेज एवं पूर्ण पत्रावली के प्राप्त होने पर 30 दिन म	संबंधित कोषाधिकारी	अतिरिक्त कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी	संबंधित संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग,	निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग	-----